न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 56/अ-20(3)/2022-23

विषय:- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन, वन विभाग को नजूल भूमियों का अन्तरण।

आदेश

(आज दिनांक 18 जनवरी, 2023 को पारित एवं घोषित)

प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सिंगरौली जिले के 689 ग्रामों को जल प्रदाय हेतु 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत गोण्ड देवसर, बैढ़न-1 एवं बैढ़न-2 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जल स्रोत से प्रत्येक ग्राम तक एवं ग्राम के भीतर घरों तक पाइप लाइन बिछायी जा रही है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य सड़क के आर0ओ0डब्ल्यू0 अथवा उपलब्ध अलाइनमेंट पर किया जाना है। यह पाइप लाइन कई क्षेत्रों में वन भूमियों से होकर ले जाई जाना अपरिहार्य है। वन भूमियों से होकर पाइप लाइन बिछाने से आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई भी अपरिहार्य होगी। 'जल जीवन मिशन' के लिए नियुक्त क्रियान्वयन एजेंसी मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा उक्त कार्य में प्रभावित विभिन्न वनखण्डों की लगभग 91.00 हेक्टर वन भूमियां उपलब्ध कराए जाने हेतु आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त वन भूमियों के बदले में वन विभाग को समतुल्य राजस्व भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है। महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा ग्राम नौगई-द्वितीय, तहसील चितरंगी स्थित 13 सर्वे नंबरान की 67.30 हेक्टर नजूल भूमियों का अन्तरण वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु किए जाने का अनुरोध किया गया है जिससे कि वन विभाग की प्रभावित भूमियाँ योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध हो सके।

2- 'जल जीवन मिशन' योजना की महत्ता के दृष्टिगत वन विभाग की प्रभावित हो रही भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नजूल भूमियां वन विभाग को अन्तरित किए जाने हेतु प्रकरण नजूल निवर्तन निर्देश, 2020 के तहत पंजीकृत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी को अन्तरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा उक्त निर्देशों के तहत अपेक्षित बिन्दुओं पर जांच कराई गई। इश्तहार प्रकाशित कराया गया। जांच उपरान्त प्रतिवेदन के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम नौगई द्वितीय, तहसील चितरंगी स्थित निम्नांकित तालिका में उल्लिखित 67.30 हे0 नजूल भूमियों का अन्तरण म0प्र0 शासन वन विभाग को अन्तरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्रमशः

प्रकरण क्रमांक 56/अ-20(3)/2022-23

तालिका

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल (हे0)	अन्तरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5	6
सिंगरौली	चितरंगी	नौगई द्वितीय	64	0.84	0.24
			67	0.62	0.62
			68	9.04	8.44
			69	8.12	7.92
			70	3.59	3.39
			71	12.07	11.87
			72	8.63	8.63
			73	15.85	14.05
			76	0.90	0.70
			77	0.60	0.60
			79	4.53	3.93
			80	6.77	6.77
			84/1	0.14	0.14
			13 कित्ता	71.70	67.30

3- प्रकरण के परीक्षण से पाया गया कि अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमियों में से खसरा नंबर 71 रकबा 12.07 हे0, 72 रकबा 8.63 हे0, 73 रकबा 15.85 हे0 एवं खसरा नंबर 79 रकबा 4.53 हे0 'चरनोई' प्रयोजन हेतु आरक्षित है। अतएव तत्संबंध में उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी को म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में संहिता) की सुसंगत प्रावधानों के तहत जांच व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा जांच एवं कार्यवाही उपरान्त 'चरनोई' हेतु आरक्षित उक्त भूमियों को वर्तमान प्रयोजन से पृथक किया जाकर वन विभाग को अन्तरित किया जाना तथा उक्त भूमियों के एवज में 'चरनोई' हेतु उसी ग्राम की अन्य नजूल भूमि खसरा नंबर 459 का अंश रकबा 8.00 हे0, 1555 रकबा 11.76 हे0 एवं खसरा नंबर 1621 रकबा 8.20 हे0 कुल तीन कित्ता कुल रकबा 27.96 हे0 को 'चरनोई' प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जाना प्रस्तावित किया गया। इस हेतु उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा कार्यवाही उपरान्त प्रस्तुत प्रकरण इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 12/अ-59/2022-23 पंजीकृत किया जाकर संहिता की धारा 237 की उपधारा (1), (3) (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत वन विभाग को अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमियों को उनके वर्तमान प्रयोजन 'चरनोई' से मुक्त घोषित किया जाकर उनके बदले में नवीन प्रस्तावित आराजियात को 'चरनोई' प्रयोजन के निमित्त आरक्षित घोषित किया गया। तदनुसार अभिलेखीय प्रविष्टियों की तब्दीलात दुरुस्त की जा चुकी हैं।

क्रमशः...

प्रकरण क्रमांक 56/अ-20(3)/2022-23

4- प्रकरण एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित भूमियां म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग की नजूल भूमियां हैं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई हित निहित नहीं है। उद्घोषणा प्रकाशन पर प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति पेश नहीं हुई है। जिला नजूल निवर्तन समिति, सिंगरौली की बैठक दिनांक 16.11.2022 में प्रस्तावित नजूल भूमियां वर्णित प्रयोजन हेतु वन विभाग को अन्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा प्रस्तावित भूमियों की वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के संबंध में उनके पत्र क्रमांक मा0चि0/6368 बैढ़न, दिनांक 29.8.2022 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि :- ''म0प्र0 जल निगम द्वारा विभिन्न प्रकरणों में प्रस्तावित वन भूमि के बदले इस विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि दिया जाना है जिसका स्थल निरीक्षण संलग्न सूची अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी, करथुआ से कराया गया है जो निम्नानुसार है ....। अतः स्थल निरीक्षण पंचनामा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।'' उक्तानुसार वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमियों के अन्तरण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। तात्पर्य यह कि प्रस्तावित भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।

5- अतएव वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली के उक्त प्रतिवेदन तथा जिला नजूल निवर्तन समिति द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार इस आदेश के उपरोक्त कंडिका 2 में दी गई तालिका के कालम 4 में उल्लिखित खसरा नंबरान की कालम 6 में अंकित क्षेत्रफल की भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन, वन विभाग को अन्तरित की जाती हैं। तहसीलदार, तहसील चितरंगी उक्तानुसार अन्तरित भूमियों की अभिलेखीय प्रविष्टियों की तब्दीलात दुरुस्त करावें एवं मौके से सीमांकन कराते हुए वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अधिकृत वन अधिकारी को कब्जा दिलाते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(अरुण परमार) 18/1/2023
कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 517/अभि0पासबुक/2022-23 सिंगरौली, दिनांक 18 19 जनवरी, 2023
प्रतिलिपि:-

1- वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली
2- उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी
3- तहसीलदार, तहसील चितरंगी
4- महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर 18/1/2023
जिला सिंगरौली(म0प्र0)